एकल नारी की आवाज

अंक : 40 , माह : मार्च, वर्ष : 2016, निजी प्रसार हेतु

धोलपुर में जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन आयोजित

''अब बहनों की बारी है, सब अधिकारों में दावेदारी है।।''

आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे,
आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे।।

जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए एवं रैली निकाल कर संगठन की शक्ति का परिचय देते हुए संगठन सदस्य।

धोलपुर, दिसम्बर 2015 ''संगठन में कित्ती शक्ति है, अब हमकू यहां आके पतो पड़ो। सब अधिकारी यहां आ रहे हैं हमकू सुनने, हम जाते हैं तो कोई नही सुनता'' । यह विचार शास्त्री काम्पलेक्स, धोलपुर में आयोजित किये गये। एकल नारी शक्ति संगठन के तीन दिवसीय जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन में प्रेमबती बाई, (बाड़ी ब्लॉक) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे। सम्मेलन में धोलपुर जिले के तीन ब्लॉक बाड़ी, बसेड़ी व धोलपुर ब्लॉक की 110 एकल महिलाओं ने भाग लिया।

संगठन क्या है? और इसका क्या महत्व है? के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया गया कि हम जब तक एक जुट होकर अपनी समस्याओं व अपने हकों अधिकारों के लिए नही लड़ेंगे तब तक हमें सम्मान व गुणवत्तापूर्ण जीवन नही मिलेगा। जैसे हमारे संगठन ने 450 महिलाओं से शुरुआत की और आज 50,000 तक हमारे संगठन की सदस्यों की संख्या पहुंच चुकी है और हमारे संगठन ने हजारों महिलाओं को हिंसा मुक्त करवाया, उनको उनका जमीन-सम्पत्ति का अधिकार दिलवाया, सरकार से पैरवी कर एकल महिला हितैषी योजनाऐं लागू करवायी। यह काम अकेले नही हो सकता था, सब सफलताऐं संगठन की शक्ति से मिली हैं।

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सहायक उपनिदेशक मनोज कुमार आर्य द्वारा संभागियों को विधवा, परित्यकता, विकलांग, वृद्वा पेंशन, पालनहार , विधवा पुर्नविवाह, विधवा महिला पुत्री विवाह योजना के बारे मे जानकारी दी गई। जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि हमें 6-8 माह तक के पालनहार की राशि नही मिल रही व पेंशन समय पर नही आ रही, नियम में होने बाद भी कई पेंशन के फार्म भर दिये फिर भी पेंशन नही मिली। इस पर मनोज आर्य द्वारा बताया गया कि हमारे यहां से सभी पालनहार की राशि चली गई, अभी तक क्यों नही मिली? हम नहीं जानते व बहनों की सूची बनाकर मांगी गई।

राजस्थान आजिविका कौशल विकास निगम जिला प्रबन्धक मनीष शर्मा द्वारा आजिविका प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि आप स्वंय व आपके बच्चे आजिविका प्रशिक्षणों से जुड़ सकते हैं जिससे रोजगार मिल सके। संभागियों ने स्वंय व अपने बच्चों को जोडने का निर्णय लिया। जिला प्रमुख धोलपुर द्वारा महिलाओं को आश्वासन दिया गया कि यदि आपका कोई काम नही होता तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, चाहे वो नरेगा, पेंशन या राशन की समस्या हो। राजनैतिक व प्रशासनिक ढांचे के बारे मे भी संभागियों को जानकारी दी गई। उन्होंने बहिनों को ग्राम सभा का महत्व समझाया और महिला भागीदारी ग्राम सभा में बढाने पर जोर देकर बताया कि हमें अपने ज्यादा से ज्यादा मुद्दे व समस्याऐं ग्राम सभा में रखनी चाहिए व उसका समाधान निकालना चाहिए।

श्रीमति मंशा देवी ने संगठन की 16 साल की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व सरकार की एकल महिलाओं को लेकर सरकारी नीति में आये बदलाव, उपलब्धियां व सफलताओं के बारे में संभागियों को बताया। रसद विभाग से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा महिलाओं को राशन वितरण प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 तारीख से 24 तक पखवाडा होता है जिसमें यदि राशन डीलर राशन ना दे या दुकान बन्द रखे तो आप हमारे पास

-शेष पृष्ठ-2 पर...

उमड़ते सौ करोड़ (वन बिलियन राईजिंग)

संगठन की सदस्याओं ने की धरती मॉ व प्रकृति पर होने वाली हिंसा के विरोध में मिलकर आवाज मुखर

आपस में लच्छा बांध कर एवं संगठित हो, मोमबत्ती जला कर उमड़ते सौ करोड़ अभियान में भागीदारी निभाते हुए संगठन सदस्य

राजस्थान की एकल बहिनों द्वारा 14 फरवरी, 2016 को उमड़ते सौ करोड़ (वन बिलियन राईजिंग) अभियान में हमारी धरती माता, एंव प्रकृति पर होने वाली हिंसा के विरोध में संगठन सदस्यों ने पंचायत व ब्लॉक पर रैली आयोजन कर, संगोष्ठी व महिला सभा करके लोगों को प्रकृति पर होने वाली हिंसा का विरोध करने के लिए जागरुक किया। अभियान में 28 जिलों की 98 ब्लॉक में 2,940 महिलाओं ने भाग लिया। उमड़ते सौ करोड़ संगठन

-शेष पृष्ठ-3 पर...

संगठन की मदद से कमला बाई को मिला जमीन पर हक

कोई भी दुख संगठन के आगे बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं... दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा बहनों, तुम ही दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखों के सपनो को, संगठन के साथ जोड़ दो...

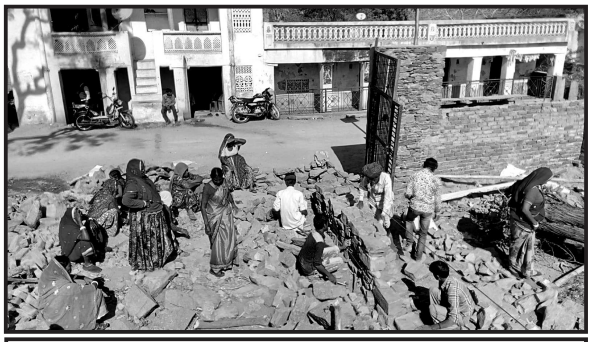

बाड़े पर कारीगरों द्वारा चुनाई का कार्य करवाते हुए संगठन सदस्य व कार्यकर्ता

कमला बाई पत्नि स्व0 किशन सिंह गांव कलालिया, ब्लॉक रायपुर, जिला पाली की रहने वाली एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्य है। संगठन की हर माह होने वाली ब्लॉक कमेटी सदस्य बैठक में कमला बाई व उसका पुत्र रवि एवं हंजा बाई आये। यहां पर कमला बाई ने संगठन कार्यकर्ता कंकू देवी को अपनी परेशानी के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे पास एक बाड़ा है, उसका पट्टा हमारे पास है। इस बाड़े पर हमारा हक चला आ रहा है। लेकिन इस बाड़े पर उदयसिंह पुत्र भेरूसिंह अपना कब्जा बता रहा है। इस बाड़े को लेकर मेरे पति स्व0 किशन सिंह एवं उदयसिंह के बीच कुछ वर्ष पहले केस भी चला था जो मेरे पति की मृत्यु के बाद वर्ष 2013 में फाइनल हो गया था लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। अभी जब उदयसिंह ने मेरे बाड़े पर दीवार चुनवाना चालू किया तब मुझे पता चला। सारी बात सुनने के बाद कंकू बाई ने कमला बाई से कहा कि मुझे पहले कागजात दिखाओ तब ही कोई निर्णय होगा। जब कंकू बाई को कागजाद दिखाये तो कंकू बाई ने उन्हें बताया कि बाड़े का पट्टा तो आपका ही है उदय सिंह ने पास ही की दूसरी जमीन पर कब्जा कर रखा था,उस जमीन पर वो केस जीता है। इन कागजों में बताया गया है कि कब्जाशुदा जमीन उदयसिंह पुत्र देवी सिंह की है और पट्टाशुदा जमीन किशन सिंह की है।

फिर कमला बाई, हंजा बाई एंव कमला बाई के पुत्र रवि ने कहा कि हमें संगठन की मदद चाहिए हम इस केस में अकेले कुछ नहीं कर पायेंगे। उदयसिंह बहुत रसूखदार आदमी है। दिनांक 22.1.2016 को संगठन से कंकू देवी व छग्गी बाई कमला बाई के गांव गई साथ ही गांव कलालिया से भी संगठन की कुछ बहनों को साथ ले लिया। संगठन सदस्य जब ग्राम पंचायत में गये वहां पर सचिव था लेकिन सरपंच उपस्थित नहीं थी। तब सदस्यों ने सचिव से बात की और कहा कि आपने उदयसिंह को एनओसी दे दी लेकिन कमला बाई को क्यों नहीं दी इस पर सचिव ने सरपंच से बात करने को कहा। सदस्यों ने सरपंच को बुलाया तो सरपंच का पति वहां आया और सदस्यों से उल्टी-सीधी बातें करने लगा और जमीन को उदयसिंह की बताने लगा। इस पर सदस्यों ने कहा कि यह आबादी की जगह है और सरपंच पंचायत के अंदर ही काम करते हैं तो सरपंच को उदयसिंह और कमला बाई दोनों को एनओसी देनी चाहिए थी। आप अभी चलो हम मौके पर जाकर ही बात करेंगे। फिर यहां से सदस्यों के साथ वार्ड़ पंच, सचिव, सरपंच व वार्ड पंच मौके पर गये तो वहां काम चालू था। सदस्यों ने कमला बाई को कहा कि आप बताओं की आपके बाड़े जगह कहां तक है। इसी समय उदयसिंह कुछ लोगों को लेकर वहां आया। उसने एक फाईल दिखाते हुए कहा कि ये देखो मेडम ये केस की फाईल है, ये केस हम जीत गये हैं। इस पर सदस्यों ने कहा कि आप दूसरी जगह पर केस जीते हो कमला बाई की जगह पर नहीं। इस पर उदयसिंह ने कहा कि हम सब जगह जीत गये हैं और उसने कागजात दिखाये। इस पर सदस्यों ने तय किया की इस मामले को वकील साहब को दिखाया जायेगा। फिर सदस्यों ने अजमेर आकर वकील साहब से बात की। यहां वकील साहब ने सारी बात समझाई और लेटर बना कर दिया और कहा कि आप थाने में जाओ। फिर दिनांक 23.1.2016 को सदस्य थाने में गये वहां पर कोई बात नहीं बनी।

इसके पश्चात् सदस्यों ने तय किया गया कि अब गांव वालों को इकट्ा किया जायेगा और वहीं फैसला करवायेंगे। दिनांक 24.1.2016 को ब्लॉक रायपुर में संगठन 30 के लगभग सदस्य और गांव वालों की उपस्थिति में मिटिंग की और सारी बात रखी। गांव वालों ने भी सदस्यों का साथ दिया। फिर संगठन की बहनों ने सबके सामने उदयसिंह से कहा कि अब न तुम्हारा वकील होगा न हमारा, हम अलग से वकील बुलायेंगे वो जो कहेगा वो मान्य होगा और सरपंच को बुलाया जायेगा एवं पुलिस को भी बुलाया जायेगा साथ ही हम यहां संगठन की रैली निकाल कर सबको बतायेंगे। दूसरे दिन वकील साहब को मौका दिखाया और कागजात भी दिखाये। अब सब गांव वाले भी कहने लगे की इन गरीबों की जमीन इनको वापस दे दो, यह फैसला आज ही कर लो नहीं तो हम कमला बाई को एक हाथ जमीन ज्यादा दिलवायेंगे। लेकिन उदयसिंह मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर पुलिस वालों ने भी समझाया और कहा कि सीधे-सीधे मान जाओ नहीं तो कल कमला बाई को थाने बुलवाकर उनके बयान लेंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे। इसके बाद अगले दिन कमला बाई के थाने में बयान लिये गये और सब सदस्य वापस लोट आये। दिनांक 5.2.2016 को वापस बहनें पंचायत में गई। वहां सरपंच व वार्ड पंच व गांव के अन्य लोग मौजूद थे। सदस्यों ने पूछा की कमला बाई को एनओसी दी या नहीं, तब कोई जवाब नहीं मिला इस पर सदस्यों ने सरपंच से पूछा तो उसने कहा कि कोरम में तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या था सदस्यों ने संगठन की कुछ सदस्यों को बुलाया और दिनांक 06.02.2016 को गांव वालों की मदद से बाड़े की दीवार गिरा दी और कारीगरों को बुलाकर नई दीवार और कमरे की चुनाई करवाना शुरू कर दिया, बाउड्री करा कर फाटक लगवा दिया गया। कमला बाई और कुछ गांव वाले एवं सदस्य वहीं पर रात रूके और वहीं पर संगठन के गीत गाते रहे और नारे लगाते रहे।

सुबह पुलिस आई और संगठन की बहनों से कहा कि आपको थाने आना होगा। संगठन सदस्य थाने गये वहां सदस्यों ने अभी तक की सारी बात वहां बताई और कागजात दिखाये तब थाने वालों ने उनसे कुछ नहीं कहा। अब कमला बाई उसके बाडे में बने हुए मकान में ही रहती है। कमला बाई को उसका हक संगठन की मदद से मिल चुका था। कमला बाई इतनी खुश हुई की उसने एक हजार रूपये का चन्दा संगठन को दिया और कहा कि संगठन की मदद के बिना मुझे मेरी जमीन नहीं

-पृष्ठ 1 का शेष...

धोलपुर में जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन...

शिकायत कर सकते हैं । महिलाओं ने नाम सहित राशन डीलर की शिकायत की। सम्मेलन के अन्तिम दिवस में संगठन सदस्याओं ने जोशपूर्ण गीत नारों के साथ रैली निकालकर एकल महिलाओं की समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन जिला कलेक्टर शुचि त्यागी को सौंपा। संगठन से प्रतिनिधि मण्डल निरुपा बाई, कल्याणी देवी, प्रेमबती, चन्द्रकला शर्मा व अन्य महिलाऐं मिली और सभी समस्याओं से अवगत करवाया। सदस्यों की मुख्य मांगे निम्नलिखित है-

❶ सभी ब्लाकों मे एकल महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमित रुप से दी जाये ।

❷ पालनहार की राशि भी समय पर नही मिल रही है यह राशि 6-8 माह के बाद मिलती है।

❸ अधिकांशतः एकल महिलाओं को नरेगा में काम नही मिल पा रहा है। कृपया इसके लिए व्यवस्था में सुधार हो और सुनिश्चित किया जाये कि नरेगा में समय पर व पूरी मजदूरी मिले।

❹ सभी गरीब एकल महिलाओं के नाम बीपीएल सूची में जोडे जायें। क्योंकि अधिकांश एकल महिलाओं के नाम गरीब होने के बावजूद भी बीपीएल सूची में नही हैं। बहुत सी महिलाओं के नाम बीपीएल सूची में होने के बावजूद भी नाम हटा दिये गये।

❺ खाद्य सुरक्षा में राशन डीलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो गेंहू भी नही दे रहा है ।

जिला कलेक्टर ने कहा कि हम आपके द्वारा दी गई समस्या लिस्ट के अनुसार उचित कार्यवाही करेंगे। साथ ही वहां उपस्थित महिलाओं ने अपनी पीड़ा भी जिला कलेक्टर को सुनाई।

खबर का असर...

सीमा को बेटे की पढ़ाई के लिए मिली आर्थिक मदद

एकल महिलाओं के लिए खास मदद

एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर पवित्र मोहन ने अपनी पूजनीय माताजी की स्मृति में एक खास कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने एकल व परित्यकता महिलाओं की क्षमतावार्धन हेतु आर्थिक मदद देना तय किया। इसे एकल महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम नाम दिया गया। फरवरी 2009 से विविधा महिला आलेखन एवं संदर्भ केन्द्र के माध्यम से एकल महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है।

एकल महिला को स्वयं के रोजगार, स्वयं की शिक्षा व उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यह राशि लोन या अनुदान के रूप में हो सकती है। एकल महिलाओं में उस महिला को भी शामिल किया गया है जो परित्यकता है। कोई भी एकल या परित्यकता महिला अपनी अर्जी आर्थिक मदद के लिए भेज सकती है।

☐ पता निम्न प्रकार है :-
विविधा, 335, महावीर नगर द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर,
फोन : 0141-2762932 अर्जी में अपना पूरा नाम, अपने परिवार की पूरी जानकारी, पता व संपर्क नंबर जरूर लिखें।

एकल नारी की आवाज में मार्च, 2015 के अंक 37 में छपी खबर के असर के रूप में एकल नारी शक्ति संगठन के माध्यम से संगठन की एक एकल महिला सीमा पत्नि स्व0 अखिलेश पाण्डे निवासी 33-एम. एल. ब्लॉक सूरतगढ़, जिला गंगानगर को आर्थिक लाभ दिलवाया गया। उक्त खबर के आधार पर सीमा ने संगठन की मदद से उसके बेटे की आई.टी.आई. की पढ़ाई हेतु जयपुर में स्थित विविधा संस्थान को लिख कर दिया एवं सीमा ने अपने बेटे संबन्धित समस्त दस्तावेज पूर्ण कर यहां पर भिजवाये। इस क्रम में विविधा संस्थान द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लेने के पश्चात् सीमा को उसके बेटे की पढ़ाई हेतु 10,000रु प्रदान किये गये। सीमा बहुत खुश है कि संगठन की मदद से उसे उसके बेटे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद का सहारा मिला।

बहनों यदि आपको भी अपने रोजगार, अपनी स्वयं की पढ़ाई अथवा अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो आप भी एकल नारी की आवाज में दिये गये विविधा संस्थान से संपर्क कर यह लाभ ले सकती हैं।

-पृष्ठ 1 का शेष...

उमड़ते सौ करोड़ .....

की महिलाओं ने विभिन्न तरीके से मनाया व कई ब्लाकों में पौधरोपण किया गया एवं पर्यावरण को नुकसान नही पहुंचाने की शपथ ली गई साथ ही एक दूसरे को लच्छा बांधकर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। कई ब्लॉकों में हाथ पर व आंखो पर काली पट्टी बांधकर व मोमबत्ती लेकर रैली के रूप में जोशपूर्ण गीत व नारों के साथ आयोजन कर प्रकृति पर हो रही हिंसा का विरोध किया गया।

विश्व में महिलाओं के साथ हिंसा व दुराचार हमारे घरों, समुदायों और देशों में संघर्ष और अस्थिरता का रुप ले चुका है। औरतों व प्रकृति पर बढ़ती हिंसा आज हम सभी का मुद्दा बन चुका है। आज दुनिया की आधी आबादी अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हर तीन में से एक औरत हिंसा का सामना करती है। यानि विश्व में 100 करोड़ औरतें हिंसा की शिकार हैं।

''उमड़ते सौ करोड़'' यह क्रान्तिकारी अभियान है। इस अभियान की शुरुआत् 14 फरवरी, 2012 को की गई थी। इस अभियान में प्रत्येक वर्ष हिंसा के अलग-अलग मुद्दों को लेकर दुनिया के 100 करोड़ लोगों के द्वारा आवाज मुखर की जाती है।

रोजगार गारंटी में श्रमिकों के मुख्य 10 हक

- प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन काम पाने का हक।
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जॉबकार्ड पाने का हक।
- प्रत्येक परिवार को काम का आदेवन करने एवं आवेदन की रसीद पाने का हक।
- काम मांगने के 15 दिन में काम मिलने का हक अन्यथा बैरोजगार भत्ता पाने का हक।
- कार्य की 173 रूपये पूरी न्यूनतम मजदूरी पाने का हक।
- काम करने के 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान पाने का हक।
- 15 दिन में मजदूरी नहीं मिलने पर क्षतिपूर्ति भत्ता पाने का हक।
- कार्य स्थल पर छाया, पानी, दवा एवं क्रेश जैसी सुविधा पाने का हक।
- नरेगा में कार्य के प्रस्ताव एवं प्राथमिकता तय करने तथा नरेगा कार्यो से संबन्धित समस्त दस्तावेजों को देखने, निरीक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण करने का हक।
- नरेगा से संबन्धित शिकायत दर्ज कराने एवं शिकायत का एक सप्ताह के भीतर निपटारे का हक।

नरेगा में जब तक आवेदन नही–काम की गारंटी नहीं।
हाथ में जब तक आवेदन की रसीद नहीं–काम की गारंटी नहीं।

क्या आपको नरेगा में 100 दिन का पूरा काम मिल रहा है?
क्या आपको पूरी मजदूरी (सालाना 17300 रूपये प्रति परिवार) मिल रही है ... ?
क्या आपको आवेदन की रसीद एवं 15 दिन में मजदूरी मिल रही है .... ?

यदि नहीं,

तो आईये हम मिलकर रोजगार गारंटी में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान करें तथा पंचायत में जाकर अपने हकों की मांग करें......
काम का आवेदन करें..... आवेदन की रसीद लेवें...... तथा रसीद नहीं देने, पंचायत नहीं खुलने या अपनी समस्या नहीं सुनने पर कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति पर तथा टोल फ्रि नम्बर 18001806606 पर अवश्य शिकायत करें।

नरेगा कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर: 18001806606

- ◊ निःशुल्क टोल फ्रि नम्बर पर डायल कर सकते हैं। ◊ डायल के बाद नरेगा के लिए 1 दबाये।
- ◊ यदि शिकायत दर्ज करानी हो तो 2 दबाये।
- ◊ यदि काम की मांग (आवेदन) दर्ज करानी है तो 3 दबायें।

फिर अपना जॉब कार्ड नम्बर बताकर आवेदन का टोकन नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

जमीन सम्पत्ति का अधिकार..नहीं दोगे तो लड़कर लेंगे

संगठन की मदद से सीता देवी को मिला जमीन का हक

सीता देवी एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्य है। ये बहन ग्राम पंचायत बहु, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर की रहने वाली है। सीता देवी ने संगठन की हर माह होने वाली ब्लॉक कमेटी सदस्य बैठक में संगठन सदस्यों को बताया कि मेरे जेठ बंशीलाल ने 16 वर्ष पहले ही जमीन का हिस्सा कर लिया था। जिसमें 4-4 बीघा जमीन तीनों भाईयों के हिस्से में आई थी। इस बंटवारे में मुझे भी चार बीघा जमीन मिली थी। फिर उसने आगे बताया कि अभी कुछ दिनों से मेरा देवर कह रहा है कि जमीन के हिस्से ठीक से नहीं हुए हैं हम दौबारा हिस्से करेंगे। मेरे देवर की बात पर जैठ भी राजी हो गया और हिस्सा करने की बात कहने लगा। जबकि मेरा जेठ बंशीलाल अपने हिस्से की 3 बीघा जमीन को पहले ही बेच चुका था। इस पर मैंने कहा कि आपने अपनी 3 बीघा जमीन बेच कर पैसा ले लिया है, अगर अब हिस्से करोगे तो जमीन और कम हो जायेगी। मैं जमीन में हिस्से के लिये तैयार नहीं हूँ, मैंने मेरे हिस्से की जमीन संभाल कर रखी है, ये जमीन मेरे गुजर बसर का साधन है। लेकिन मेरे देवर व जेठ नहीं माने वे आये दिन जमीन के हिस्से को लेकर मुझसे झगड़ा करने लगते हैं। सारी बात सुनने के बाद संगठन की सदस्यों ने उसके जेठ से बात की तो उसने कहा कि हमारी जमीन पर हम पहले शामिल में खेती कर रहे थे। उस समय मैने 3 बीघा जमीन बेची थी वो मेरे हिस्से की जमीन नहीं थी वो शामिल में ही थी। हमने बंशीलाल को संगठन के बारे में बताया और यह भी बताया कि संगठन एकल, विधवा और परित्यकता बहनों के लिए ही काम कर रहा है।

इसके बाद सदस्यों ने कहा कि यदि आप जमीन का दूबारा हिस्सा करोगे तो सीता की तरफ से संगठन आप पर कार्यवाही करेगा। जेठ घबरा गया और कहने लगा कि कि मैं जमीन का दूबारा हिस्सा नहीं होने दूंगा। सीता को 4 बीघा जमीन ही इसके हिस्से की मिलेगी। आप स्टाम्प पर लिखा सकते हो। हमने कहा ठीक है आप स्टाम्प पर लिखित में देना। फिर संगठन की बहनों ने सीता बाई के जेठ से जमीन को लेकर पूरी कार्यवाही की और स्टाम्प लिखवाया। इस प्रकार संगठन की सदस्यों ने सीता देवी को उसका हक दिलवाने में मदद की और फैसला करवाया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एंव निवारण अधिनियम 2013

आज के समय में महिलाऐं स्वंय आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी कर रही हैं। फिर भी सदियों से चल रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था में खुद को आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं के लिए किसी चुनौति से कम नही है। काम करने वाली जगहों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक कड़वी सच्चाई है। यह महिलाओं के अस्तित्व, उनकी सेहत और श्रम को चोट पहुंचाता है। साथ ही उन्हें रोजगार छोड़ने तक पर मजबूर कर देता है। इन दिनों कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बड़े मामले सामने आ रहे है। महिलाओं को मौका ही नही मिलता की वो पुरुषों की तरह बराबरी से अपना योगदान दे सके।

अतः यह समय की मांग है कि लोगों को व पूरे समाज को लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरुक किया जाये। यह जागरुकता एकदम से नही फैलाई जा सकती है इसके लिए यह आवश्यक है कि महिलाऐं ये जाने कि वह खुद को कैसे सुरक्षित रखे?, कैसे अपना आत्मसम्मान बनाए रखें? और कैसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाये?

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारे देश में वर्ष 2013 में एक कानून महिलाओं का **कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकथाम, निषेध एंव निवारण कानून 2013** बनाया गया है।

इस कानून मे संगठित व असंगठित क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग तरह की समितियाँ बनाने की बात की गई है। सभी कार्य स्थल जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी हो वहां आतंरिक शिकायत समिति और जहां 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हो वहां स्थानीय शिकायत समिति बनाने की बात की गई है।

☛ आईये हम जानें कि क्या है यौन उत्पीड़न? कौन, कहॉ, किससे कब कर सकते है शिकायत? व कानूनी प्रावधान क्या है?

◆ यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न एक ऐसा व्यवहार है जिसकी प्रकृति यौनिक होती है और यह सामने वाले की ईच्छा से विपरीत उस पर थोंपा जाता है और एक तरफा होता है। यौन उत्पीड़न सामान्यतः मौखिक, शारीरिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होते है।

❖ ऐसी घटनाऐं कहीं पर भी हो घर, परिवार, बस स्टैण्ड, अस्पताल अथवा कार्यस्थल पर, तो वह भी यौन उत्पीड़न ही कहलाऐगा।

☛ शिकायत कौन कर सकता है?

- वह महिला जिसके साथ अपराध हुआ है।
- वह व्यक्ति जो प्रत्यक्ष घटना से जुड़ा हुआ है।

मौखिक उत्पीड़न जैसे

- द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग (जैसे : तुम्हारें काम के लिए तो में हमेशा तैयार हूं कहो तो.....)
- अपशब्द व तुच्छ शब्दों का प्रयोग (महिलाओं को सम्बोधित करते हुए गालियां ...)
- किसी महिला के रंग रुप तथा शरीर के अंगों के विषय में बोलना, अश्लील व भद्दे गीत गाना, व भद्दे व नापसन्द मजाक करना।
- काम करने वाली जगह पर स्वास्थ्य सम्बन्धी बिल प्रस्तुत करने पर व्यक्तिगत सवाल पूछना।
- महिलाओं के विवाह तथा प्रजनन सम्बन्धी मामलों में व्यक्तिगत चर्चा करना।
- बिना किसी काम के बार-बार अपने पास बुलाना।
- कार्यस्थल पर अन्य पुरुषों के साथ मिलकर महिला कर्मचारियों के विषय मे गपशप करना मजाक उड़ना।
- अन्जान बनकर बार-बार फोन करके परेशान करना।

शारीरिक व मौखिक उत्पीड़न जैसे

- बिना अनुमति के शारीरिक सम्पर्क का प्रस्ताव करना, या शारीरिक सम्पर्क करना।
- छूना, नोंचना, झपटना, पकड़ना, या जानबूझकर शरीर रगड़ना।
- यौनिक हमला जैसे जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश करना।
- किसी पुरुष द्वारा किसी महिला का पीछा करना व आने-जाने वाले रास्ते में रोकना व घेरना।
- किसी महिला से खास तरह के कपड़े पहननें का अनुरोध करना।
- कार्यस्थल पर शराब पीना तथा किसी महिला को पीने के लिए प्रस्ताव रखना।
- जबरन बहुत देर तक हाथ मिलाना।
- अश्लील सामग्री दिखाना व सुनाना।

☛ शिकायत कहां कर सकते है?

प्रत्येक कार्य स्थल पर एक यौन हिंसा के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया जाता है। पिड़िता अपनी समस्या उस कमेटी के सामने रख सकती है।

☛ शिकायत दर्ज करने की समय सीमा?

- पिड़ित महिला यौन उत्पीड़न की घटना के दिन से तीन माह (90 दिन) के अंदर आंतरिक या स्थानीय शिकायत समिति को अपनी शिकायत लिखित रुप मे दे सकती है।
- इसमे विशेष प्रावधान भी है कि किसी खास वजह से पिड़िता तीन महिने तक अपनी शिकायत दर्ज नही करा पाती है तो समिति शिकायत दर्ज करने का समय बढा सकती है।

☛ कानूनी प्रावधान :-

- दुष्कर्म की एफ.आई.आर थाने में दर्ज की जा सकती है।
- थानें मे शिकायत दर्ज न होने पर पुलिस के उच्चाधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना।
- प्राथमिकी दर्ज न होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायालय की मदद से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(इसके अलावा राजस्थान मे सभी महिला थानों मे स्थित महिला सुरक्षा एंव सलाह केन्द्र पर भी पिड़िता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है)

☛ कानून के अर्न्तगत शिकायत समिति :-

यौन उत्पीड़न होने पर यदि मामला कार्यक्षेत्र में आपसी समझाईश से सुलझ जाये तो ठीक, नही तो महिला अपनी शिकायत जिला स्तरीय शिकायत समिति मे दर्ज करवा सकती है। विशेष रुप से ऐसे कार्य स्थल जहां स्टाफ कम है तथा यौन हिंसा संबन्धित कमेटी का गठन नही किया गया है अथवा यदि शिकायत स्वंय नौकरी पर रखने वाले के खिलाफ हो तो जिला शिकायत समिति में महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।

☛ स्थानीय शिकायत कमेटी सदस्यों की नियुक्ति :-

स्थानीय शिकायत कमेटी सदस्यों की नियुक्ति जिला अधिकारी द्वारा की जाती है। 1. जिसमें एक महिला सामाजिक कार्यो से जुड़ी हो व महिलाओं के कार्य के लिए समर्पित हो। 2. एक महिला शिकायतकर्ता के कार्य क्षेत्र से हो। 3. दो सदस्यों में से एक महिला होगी जो गैर सरकारी संगठन से जुड़ी हो तथा एक सदस्य कानूनी जानकार हो। 4. इनमें कम से कम एक सदस्य अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से होनाा चाहिए। 5. सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता /महिला एंव बाल विकास सम्बन्धित जिला स्तर अधिकारी भी सदस्य होंगे।

☛ दण्ड /सजा का प्रावधान :-

- चेतावनी।
- भर्त्सना।
- कठोर दुराचरण में वेतन वृद्विमें कटौती।
- उच्च पदाधिकारियों की उनके पद से सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी करना।

इस कानून में आर्थिक कटौती का भी उल्लेख है।

नारी शरीर पर अत्याचार,
नहीं सहेंगे....नहीं सहेंगे।
बोल मेरी बहना हल्ला बोल,
नारी शौषण पर हल्ला बोल।

बहनों के समस्याऐं संगठन की मदद से दूर करना अच्छा लगता है-रेखा पारासर

परिचय : मैं रेखा पाराशर पुत्री रामनिवास जी पाराशर जाति ब्राम्हण निवासी गांव पण्डेर, वाया जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है। मैं एक गरीब और परित्यकता महिला हूँ। मेरा विवाह 8 वर्ष की उम्र में ही हो गया था एवं जब में 15 वर्ष की हुई तब मेरे माता-पिता मुझे ससुराल भेजने लग गये थे।

पृष्ठभूमि : मैं 2 या 3 बार ही ससुराल गई थी फिर भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मुझे दजेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी सास व ससुर दोनों ने मुझ से कहा कि तेरी पायल खोल दे और तेरे कान कुण्डल भी के भी हमको दे दे हम इनको और भारी और अच्छा बनाकर तुझे देंगे। उस समय मुझमें इतनी समझ नहीं थी तो मैने दोनों चीजें उनको दे दी।

अगले दिन मेरी सास ने मुझे बाजार से गोटा चांदी की पायल व सीप की चुड़ियां पहना दी। एक दिन मेरी ननद ने मुझसे कहा कि कल पापाजी तुम्हारे गांव की तरफ जायेंगे तो तुम भी उनके साथ पीहर चली जाना और वापस आते समय उनके साथ ही आ जाना। उस दिन मैं मेरे ससुर के साथ मेरे पीहर चली गई रास्ते मे मेरे ससुर ने कहा कि जब तक मैं या कोई और तुझे लेने नहीं आये वापस ससुराल मत आना। इसके बाद एक साल तक वो मुझे लेने नहीं आये। एक दिन मुझे पता चला की मेरी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी है। मेरा परिवार बहुत ही गरीब था मेरे पापा ने समाज के लोगों को इकट्टा किया। समाज वालों को सारी बात बताई।

इस पर समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि मेरे ससुर को विजयनगर से बुलाया जाये। इसके पश्चात् मेरे ससुर को वहां बुलाया गया। फिर मेरे ससुर से कहा कि आपने रेखा को दहेज के लालच में छोड़ दिया और अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी इस पर समाज आपको सजा देगा। तब मेरे ससुर ने कहा कि मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा और रेखा को वापस अपने बेटे की पत्नि के रूप में माल लूंगा। लेकिन समाज वालों ने कहा कि एक की जिन्दगी बनाने के लिए दूसरी लड़की की जिन्दगी क्यों खराब की जाये। इसलिए तुम्हें तो सजा ही दी जानी चाहिए और समाज के लोगों ने उस परिवार को समाज से बाहर कर दिया। जब से आज तक वो परिवार समाज से बाहर ही है।

मुद्दे के लिए रणनीति : मैंने तय कर लिया था कि उस व्यक्ति से मुझे तलाक लेना है इसलिए मैंने समाज के बड़े लोगों से जानकारी ली और तुरन्त जहाजपुर कोर्ट में 125 व 498 का केस लगा दिया। इस पर केस 14 साल तक चला। इस केस में पुलिस वालों ने जांच की और मेरे ससुराल पक्ष के पूरे परिवार को गिरफ्तार करके थाने में ले आये। इस केस में जीत मेरी हुई। इसके बाद भीलवाड़ा लोक अदालत मे मेरे पति ने अपील कर दी तो मैंने वहां भी तलाक का केस लगा दिया। बाद में समाज के लोगों के दबाव और कोर्ट कचहरी के डर से मेरे पति ने 20 साल पहले 25,000रूपये मुझे देकर तलाक का फैसला किया। इसके कुछ समय बाद साल 2003 में मेरा चयन साथिन के रूप में हो गया। एक बार मैं बैंक मे किसी काम से गई थी तब वहां पर मुझे एकल नारी शक्ति संगठन से कार्यकर्ता लाली धाकड़ मिली और उन्होंने मुझे संगठन के बारे में बताया और बताया कि तुम भी संगठन की सदस्य बन सकती हो और तुम्हारी समस्याओं से लड़ने में संगठन तुम्हारे साथ रहेगा। फिर मैं संगठन से जुड़ गई।

यहां आकर मुझे एक नया परिवार मिला। मैं संगठन की बहनों के साथ मिटिंग में आने लगी और मेरी समझ बढ़ने लगी। मैं अन्य बहनों की समस्याओं को हल करने लगी। फिर मुझे मेरे काम को देखते हुए संगठन के एक ब्लॉक हुरड़ा की मिटिंग लेने की जिम्मेदारी सोंपी गई। अब मैं संगठन की कार्यकर्ता बन गई हूँ। मैं संगठन की बहनों का सुख-दुख सुनती हूँ उनकी परेशानी अपनी परेशानी मानती हूँ और उसे दूर करने के लिए लगातार कोशिश करती हूँ।

मेरा सपना हुआ पूरा ...केवल चूल्हा चौका मेरा काम नहीं

''मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी मेरी माँ मेरी दादी और मेरे परिवार वाले हमेशा कहा करते थे कि ''अरे बेटी तो पराया धन है, चूल्हा चौका सीख, ससुराल मे जाकर क्या करेगी।'' मैनें बचपन से अभी तक हजारों बार यह बात सुनी और मुझे लगने लगा कि शायद यही मेरा जीवन होगा। अच्छा सा पति मिलेगा बच्चे होंगे और अच्छे से घर मे शादी के बाद चली जाउंगी।

जैसा घर परिवार वालों ने सपने दिखाने शुरु करवाये वैसे ही देखे। '' मैं धर्मिष्टा शर्मा निवासी देवजी का थाना, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की निवासी हूं। मै आज आपके साथ बांटना चाहती अपनी खुशी व अपना सपना.....कक्षा 12 वीं के बाद 20 साल की उम्र में मेरी शादी देवजी का थाना पंचायत में सन् 2004 में हुई और शादी के कुछ साल बाद मुझे एक बेटा हुआ। लेकिन पति मेरी सुन्दरता को लेकर खुश नही था और सन् 2007 में वह किसी अन्य महिला के साथ रहने लगा व दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत दुखी थी मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गये और भविष्य मे सिर्फ अन्धेरा ही अन्धेरा नजर आने लगा। ऐसे मे मेरी सास व ससुर ने मुझे हिम्मत बंधाई व कहा कि ''हम तेरे साथ है।'' फिर मुझे कुछ हौंसला मिला।

इसके पश्चात् मैंने वापस सन् 2012 में अपनी पढाई शुरू कर दी। पढाई के लिए बाहर जाते-जाते मुझे मेरी दोस्त कलावती से एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में पता चला । मैं संगठन से जुडी व संगठन के माध्यम से जयपुर में आजाद फाउन्डेशन संस्था के माध्यम से महिलाओं को ड्राइविंग सीखाने के प्रशिक्षण के बारे में मुझे जानकारी मिली। इसके

कार चलाते हुए धर्मिष्ठा शर्मा

बाद मैने फरवरी 2015 में ड्राईविंग सीखने के लिए फार्म भरा व 9 माह तक एक पारिवारिक माहौल में आजाद फाउन्डेशन, जयपुर के माध्यम से ड्राईविंग सीखी। प्रशिक्षण के दोरान ड्राईविंग के साथ-साथ संस्था ने हमें जीवन जीने की कला भी सिखाई व हमारा सोया हुआ आत्मविश्वास जगाया। अब मैं अपना पूरा प्रशिक्षण करके जनवरी 2016 से भाटिया एण्ड कम्पनी, कोटा में मारुति ड्राईविंग स्कूल में महिलाओं को ड्राईविंग सिखाने का कार्य करती हूं और अब पूरे सम्मान के साथ मेरी अपनी एक पहचान है।

मुझे लगता है कि आज आजाद फाउन्डेशन व एकल नारी शक्ति संगठन नही होता तो मैं यदि अपनी आजिविका के लिए कुछ करना भी चाहती तो वही सिलाई कढाई-बुनाई सीख पाती लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं हम महिला भी सब कुछ कर सकती हैं। हम किसी से कम नही हैं। मैं एकल नारी संगठन व आजाद फाउन्डेशन को बहुत- बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।

हम से है जमाना, जमाने से हम नहीं...

अपनी खुशी के लिए,
दूसरों को दुःख न पहुंचाना...
अपनी खुशी के लिए,
दूसरों के मन को न दुखाना...
समाज के डर से,
इस जीवन को नरक न बनाना...
अपनी इच्छाओं को पूरा करना....
इसलिए अपने जीवन को जीने के लिए,
खुद को ही आगे लाना...

अपनी मंजिलों को तय करने के लिए,
कदम से कदम मिला कर
बुलंदियों तक पहुंचाना...
इसलिए अपने फैसले पर यकीन करना...
साथ लेना व साथ देना का वादा निभाना...
जिन्दगी की राह में दूसरों को भी,
साथ लेकर चलना...
इसलिए अपनी खुशी के लिए,
दूसरों का दुःख न पहुंचाना....

–राधा (हि.प्र.)

संगठन की शैक्षणिक मेलों में भागीदारी

मेले में कठपुतलीयों के माध्यम से दी संगठन की जानकारी

एकल नारी शक्ति संगठन सदस्यों की संस्था/संगठनों के कार्यक्रमों मे भी भागीदारी समय-समय पर रहती है ताकी अनुभवों का आपस में आदान प्रदान हो सके।

सदस्यों को सीखने-सीखाने का मौका भी मिल जाता है। इसी संदर्भ में 23 फरवरी, 2016 को आदिवासी विकास मंच संगठन, कोटड़ा द्वारा व 3 मार्च, 2016 को गोड़वाड़ आदिवासी संगठन, बाली द्वारा एवं 6-7 मार्च, 2016 को वागड़ मजदूर किसान संगठन, बांसवाड़ा द्वारा मिलन मेले का आयोजन किया गया।

मेले में महिलाऐं संगठन की जानकारी लेते हुए बहनें

मिलन मेले के दौरान निकल कर आया कि यह मिलन मेला गरीब मजदूर किसान, आदिवासी भाई-बहनों का अपना मेला है जो कि साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस मेले में स्थानीय संगठनों के सदस्यों के अलावा बाहर से भी संस्था/ संगठन/ जनप्रतिनिधी/ अधिकारीगण भाग लेते हैं। एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों द्वारा तीनों जगह भागीदारी रही। मेले में आदिवासी विकास और महिला सशक्तिकरण पर संगठन सदस्यों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी एवं किताबों, पम्पलेट्, एकल नारी की आवाज आदि सामग्रियों द्वारा मेले में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जानकारी दी गई।

इसी कम में कोटड़ा मिलन-मेले में अजमेर से कठपुतली टीम द्वारा कठपुतलीयों के माध्यम से संगठन की जानकारी दी गई।

जवाबदेही यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

100 दिवसीय राज्य स्तरीय जवाब देही यात्रा पिछले लगभग 98 दिनों में अब तक राजस्थान के सभी 33 जिलों में जा चुकी है, यहां इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी जोश देखने को मिला एवं इस दौरान जवाबदेही कानून की मांग को भारी समर्थन मिला है और साथ ही इस कानून के लिए एक बड़ा अभियान चलाने के लिए लोगों ने सहयोग करने का वादा भी किया है। यात्रा आम लोगों के ऐसे कई बुनियादी मुद्दों से भी दो-चार हुई है जो कि उनके जीवन और आजीविका पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सरकार होने का सबसे बुनियादी कारण है-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं के डिलीवरी को प्रभावी बनाना।

तीन महीने से ज्यादा का समय, 33 जिले, 250 से अधिक बैठकें और 1,00,000 (एक लाख) से भी ज्यादा लोगों से बात-चीत ने अब तक सूचना रोजगार अभियान को बहुत ही समृद्ध, प्रमाण आधारित समझ दी है। नीतियों की और धरातल पर क्रिन्यान्वयन में आ रही दिक्कतों की। इससे हमें कुछ ऐसी मांगों को उठाने का भी मौका मिला है जो कि हमारी राय में इन योजनाओं के उचित किन्यान्वयन में और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। ये मांगे जिसमें राशन, पेंशन, नरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-मित्र, आयोगों का गठन, वन अधिकार मान्यता कानून एवं अभिव्यक्ति की आजादी संबन्धित विभिन्न मांगें इस में शामिल किया गया था।

दिनांक 10 मार्च को रामनिवास बाग, जयपुर में एक बड़ी जनसुनवाई सभा आयोजित कर इस 100 दिवसीय यात्रा का समापन किया गया। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया एवं उक्त मांगों का एक ज्ञापन तैयार कर मुख्यमंत्री को दिया गया।

आपके सुझाव आमंत्रित हैं

एकल नारी की आवाज आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में एकल नारी की आवाज को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों व विषयों पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है, इन सभी पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। एकल नारी की आवाज के लिए आपकी ओर से भेजे जाने वाले आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती .....

पता .....

.....

..... पिन कोड .....

एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	9	4408
2.	राजसमंद	4	2126
3.	सिरोही	1	962
4.	डूंगरपुर	5	1400
5.	बांसवाड़ा	5	877
6.	उदयपुर	8	3617
7.	भीलवाड़ा	6	2687
8.	जोधपुर	5	1258
9.	नागौर	3	2245
10.	जालोर	2	985
11.	पाली	4	1814
12.	चित्तौड़गढ़	5	1026
13.	टोंक	5	1336
14.	बारां	5	2795
15.	बूंदी	4	1480
16.	अलवर	3	1129
17.	सवाईमाधोपुर	5	1509
18.	जयपुर	3	1539
19.	कोटा	5	2548
20.	दौसा	4	1355
21.	बाड़मेर	4	930
22.	सीकर	3	969
23.	चुरू	2	2138
24.	झालावाड़	5	3222
25.	जैसलमेर	1	1324
26.	करौली	3	870
27.	प्रतापगढ़	4	870
28.	भरतपुर	3	815
29.	बीकानेर	1	256
30	हनुमानगढ़	2	384
31	झुंझनू	2	203
32	धोलपुर	2	184
33.	गंगानगर	2	139
	कुल योग	125	49,400

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

- : पता : -

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)

फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008

फोन : 0744-2450726 फैक्स : 0744-2329536

ईमेल : astha39@gmail.com

ईमेल : ensskota@gmail.com

ईमेल : enssrajasthan@gmail.com

Website: www.strongwomenalone.org